



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

337838

उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकते हैं।

किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व

*Tax*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

237837

आभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित करने के पूर्ण अधिकारी

रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता को सहमति एवं

*Tampal*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम

पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई

*Signature*

*Signature*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

201833

आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई

ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो

*Jm*

*Jm*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

237834

उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा

और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को

